न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 01/2024

प्रार्थीगण–

1. संगु पत्नी सुमार के कायम मुकाम
   1/1 सुभान पुत्र सुमार
   1/2 सावण पुत्र सुमार
   1/3 खमीशा पुत्र सुमार जाति भील निवासी अलीसरो की बस्ती सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. उमर पुत्र इब्राहिम पुत्र सिदिक
2. जानी पुत्र इब्राहिम पुत्र सिदिक
3. सुभान पुत्र इब्राहिम पुत्र सिदिक
4. कुर्बान पुत्र इब्राहिम पुत्र सिदिक
5. हुरमी पत्नी इब्राहिम पुत्र सिदिक
6. उस्मान पुत्र सिदिक
7. खमीशा पुत्र हासम जाति मुसलमान निवासी अलीसरो की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
8. प्रबंधक, बीसीसी बैक शाखा सेड़वा

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 07.07.1960 जो सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा मुकदमा नंबर 188/1959 सीदीक बनाम बागा के विरूद्ध पारित की गई।

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द रामावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01 से 07 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 08 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03/06/2025

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा मुकदमा संख्या 188/1959 अन्तर्गत सीदिक बनाम बागा में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 07.07.1960 को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सेड़वा के खसरा नंबर 307, 324, 326 रकबा 56–12 बीघा बारानी सोयम भूमि वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के नाना बागा पुत्र अलाना जाति भील साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज हुई थी इसके पश्चात उनकी मृत्यु होने पर उसकी पुत्री संगु प्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज हुई थी। अप्रार्थीगण के पिता सीदिक द्वारा उक्त भूमि अपनी खुद काश्त होना उल्लेखित कर उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित भूमि वादी सीदिक की खातेदारी में घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण अर्थात प्रार्थीगण की माता संगु के पिता बागा प्रतिवादी सीदिक वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को विधिविरूद्ध मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सेड़वा मे खेत खसरा नंबर 307, 324, 326 कुल रकबा 56–12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाना बागा पुत्र अलाना जाति भील साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज हुई थी इसके पश्चात उनकी मृत्यु होने पर उसकी पुत्री संगु प्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज हुई। विप्रार्थीगण के पूर्वज सिदिक पुत्र सुजा जाति मुसलमान द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 188/59 दर्ज हुआ। इस वाद की आदेशिका में लगातार यह लिखा जाने लगा कि पक्षकारान राजीनामा करना चाहते है व दिनांक 06.07.1960 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जबकि वाद की पेशी दिनांक 07.07.1960 को थी व इस राजीनामे [illegible] व बागा द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें दोनों पक्षकारों [illegible] पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि [illegible] किसी अन्य को खड़ा करके यह राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। [illegible]क्त वाद में वादी स्वर्ण जाति से है व प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 16:40:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को खातेदार घोषित किया जा सकता है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज सिदिक पुत्र सूजा जाति मुसलमान साकिन देह सेड़वा तहसील चौहटन के पक्ष में जारी डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य होने से उक्त डिक्री को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेंस करना आवश्यक, उचित एवं न्यायसंगत है।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि वादी सिदिक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1959 में वाद प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 1959 का अपना कब्जा होने से संबंधित गिरदावरी की नकल, लगान अदा करने की रसीद एवं उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा होने से संबंधित कोई मौका कब्जे की रिपोर्ट पेश नहीं की। प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम वक्त बंदोबस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर पर्चा लगान जारी हुआ एवं खतोनी बंदोबस्त में बतौर खातेदार दर्ज हुए है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में किये गए इन्द्राज सही होने की उपधारणा की जाती है तथा उक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का होना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता को मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पिता के राजीनामा एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि को खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसे निरस्त करने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

6. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि विवादित भूमि मौजा सेड़वा मे खेत खसरा नंबर 307, 324, 326 कुल रकबा 56–12 बीघा वक्त सेंटलमेंट राजस्व अभिलेखों में उक्त खेत विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूषो का स्वामित्व एवं कब्जा–काश्त किया जाता था। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.1960 मुकदमा सं. 188/1959 सिदिक बनाम बागा पूर्ण रूप से विधि सम्मत रूप [illegible] हो चुका है, जिसे पारित हुए करीब 60 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात [illegible] प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और न ही रेफरेंस किये जाने [illegible] अप्रार्थीगण यदि उक्त मुकदमें से व्यथित है तो नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र थे किन्तु ऐसा नहीं किये जाने से प्रार्थीगण इस निर्णय से कानूनन विबंधित है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया झूठ एवं कयासी है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हाल ही में वर्ष 2024 में उक्त निर्णय एवं राजस्व रेकर्ड के अंकन का ज्ञान हुआ जब विप्रार्थीगण ने धमकी दी हो। विवादित भूमि पर कब्जा काश्त तत्समय एवं वर्तमान में विप्रार्थीगण का ही है ऐसे में धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण का यह आवेदन पद धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रेफरेंस करने विधि एवं सिद्धान्तः पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने, खर्चे से जेरबार करने की नियत से यह आवेदन पत्र पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सेड़वा मे खेत खसरा नंबर 307, 324, 326 कुल रकबा 56–12 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाना बागा पुत्र अलाना जाति भील साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज हुई थी। विप्रार्थीगण के पूर्वज सिदिक पुत्र सुजा जाति मुसलमान द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 188/59 दर्ज हुआ। जिसमें सिदिक व बागा द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें दोनो पक्षकारों की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। उपरोक्त वाद स्वर्ण जाति से है व प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस कारण निर्णय व डिक्री धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार शून्य निष्प्रभावी होने के कारण यह रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्याय सम्मत है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के पिता की ओर से वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है तथा यह भी प्रकट किया कि इस हेतु मयाद की बाधा नहीं है तथा धारा 232 में कोई समय सीमा का उपबधं नहीं है। इसके विपरीत अधिवक्ता विप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2012 (2) आरआरटी 1072 राज्य सरकार बनाम बालुराम व अन्य प्रस्तुत की गई जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस सं. 2493/2004 निर्णय दिनांक 10.05.2012 में यह निर्धारित किया गया है कि रेफरेंस समुचित समय में पेश हो तथा धारा 232 में रेफरेंस 22 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत किया है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार डीएनजे 1996 राज 100 आनन्दीलाल बनाम राज्य सरकार की नजीरों का आलम्ब लेते हुए प्रकट किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत रेफरेंस को खारिज किये गए है। तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरों में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा समस्त विधिक बिन्दुओं की स्थिति पर विस्तृत व्याख्या कर विवेचन दिया गया है कि उपरोक्त वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:20 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

वादी स्वर्ण जाति से है व प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को खातेदार घोषित किया जा सकता, साथ ही धारा 232 में कोई समय सीमा का उपबंध नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण द्वारा निर्धारित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस आवेदन पत्र अंतिम निश्चय हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है क्योंकि उक्त वाद में स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थीगण के पिता के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि अप्रार्थीगण के पिता गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलोच्य निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

9. आदेश आज दिनांक 03.06.2025 को सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
अति0जिला कलक्टर,
बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:40:20 IST
Reason: SelfAttested